Act-& Rules
Act Service Rules
ACP

(मुकेश चन्द्र कुमाई)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्याः 11/XXVII(7)30(14)/2017
देहरादूनः दिनांक 17 फरवरी, 2017

कार्यालय ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

वेतन समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत किये गये पुनरीक्षित वेतनमानों को लागू किये जाने के साथ यह भी संस्तुति की गयी है कि भारत सरकार में प्रचलित संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना को राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पर भी लागू किया जाय।

2. राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार में प्रचलित संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना को राज्य में लागू करने विषयक वेतन समिति की संस्तुति पर विचार किया गया। विचारोपरान्त शासन द्वारा राज्य में लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर भारत सरकार में प्रचलित संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना को निम्न प्राविधानों के अधीन स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1. उक्त योजना को राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना "(एम0ए0सी0पी0एस0)" के रूप में जाना जाएगा जो पूर्व में लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम (ए0सी0पी0एस0) तथा इसके अधीन जारी किये गये समस्त शासनादेशों/आदेशों व स्पष्टीकरणों को अतिक्रमित करते हुए लागू होगी।
2. यह योजना राज्य सरकार में मौलिक रूप से नियुक्त उन सभी सरकारी सेवकों के लिए लागू होगी जो पूर्व में लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था से आच्छादित है। संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना का विस्तृत विवरण और इसके अधीन वित्तीय उन्नयन प्रदान किये जाने के संबंध में सामान्य दिशा–निर्देश संलग्नक–1 के रुप में संलग्न हैं।
3. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन दिए जाने से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने हेतु प्रत्येक विभाग में सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक स्कीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। स्कीनिंग कमेटी में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। स्कीनिंग कमेटी में एक सदस्य वित्त सेवा का अधिकारी नामित किया जायेगा। यदि किसी विभाग में वित्त सेवा का अधिकारी नहीं है तो नियुक्त प्राधिकारी किसी अन्य विभाग में नियुक्त वित्त सेवा के अधिकारी को नामित कर सकते हैं। समिति के अन्य सदस्य ऐसे राजपत्रित अधिकारी होंगे जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन पर विचार किए जाने वाले स्तर (Level) से कम–से–कम एक स्तर (Level) ऊपर के पद धारण किए हुए हों। स्कीनिंग कमेटी में अध्यक्ष आमतौर पर समिति के सदस्यों के वेतन स्तर (Level) से एक स्तर (Level) ऊपर का होना चाहिए। समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रुप में अखिल भारतीय सेवा/वित्त सेवा के अधिकारियों के नामांकन के सम्बन्ध में वेतन स्तर का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।
4. स्कीनिंग कमेटी की सिफारिशों को सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

5. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना को लागू करने के लिए प्रत्येक विभाग इस कार्यालय ज्ञाप के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करेंगे जिससे कि इस योजना के अंतर्गत लाभ दिए जाने के मामलों पर विचार किया जा सके।
6. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की उपर्युक्त योजना के प्रावधानों के अर्थ और कार्य क्षेत्र के विषय में होने वाले संदेह की कोई व्याख्या/स्पष्टीकरण शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।
7. यह योजना 01 जनवरी, 2017 से लागू होगी। पूर्व में लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) के प्रावधान 31 दिसम्बर, 2016 तक की देयता के प्रकरणों में लागू होंगे।
8. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वेतन निर्धारण के कारण वरिष्ठ की तुलना में अधिक वेतन आहरित कर रहे कनिष्ठ के सम्बन्ध में वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर (Level) में वेतन की कोई बढ़ोत्तरी स्वीकार्य नहीं होगी।
9. संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू करते समय उसी संवर्ग में पुरानी ए0सी0पी0 स्कीम के अंतर्गत तथा संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की अदायगी के कारण विद्यमान वेतन मैट्रिक्स के स्तर (Level) में भिन्नता आ जाने पर उसका अर्थ एक विसंगति के रूप में नहीं लिया जाएगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 11/XXVII(7)30(14)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड एकक, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी0एस0)

1. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत किसी कार्मिक को पूरे सेवाकाल में यदि पदोन्नति न हुयी हो तो अधिकतम तीन वित्तीय अपग्रेडेशन (उन्नयन) दिए जाएंगे जिनकी गणना सीधी भर्ती के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से क्रमशः 10, 20 और 30 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने पर की जाएगी। इस योजना के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन तब अनुज्ञेय होगा जब किसी व्यक्ति ने वेतन मैट्रिक्स में समान स्तर में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो। प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन से लेकर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के मध्य प्राप्त पदोन्नतियाँ वित्तीय अपग्रेडेशन मानी जायेंगी तदनुसार उस सीमा तक एम0ए0सी0पी0एस0 के लाभ कम प्राप्त होंगे। लेकिन एम0ए0सी0पी0एस0 के रुप में प्राप्त स्तर में ही पदोन्नति होने पर उसे अगला वित्तीय स्तरोन्नयन नहीं माना जायेगा।

2. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 (समय–समय पर यथासंशोधित) की अनुसूची–1 में दिए गए वेतन मैट्रिक्स के स्तर (Level) के क्रम में ठीक अगला उच्चतर स्तर (Level) में अनुमन्य किया जाना है। ऐसी दशा में किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में प्राप्त होने वाला वेतन स्तर (Level) कुछ मामलों में उसकी पदोन्नति के पद के वेतन स्तर (Level) के मध्य हो सकता है ऐसे मामलों में, सम्बन्धित संवर्ग/संगठन के पदक्रम में अगले पदोन्नति पद से जुड़ा उच्चतर स्तर (Level) केवल नियमित पदोन्नति के समय पर ही दिया जाएगा।

3. इस योजना के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन के समय पर नियमित पदोन्नति के समय प्रदान किया जाने वाला वेतन निर्धारण का लाभ अनुज्ञेय होगा। ऐसे में वेतन, इस प्रकार हुए अपग्रेडेशन से पूर्व स्तर (Level) में जिस कोष्ठिका (Cell) की धनराशि वेतन के रूप में आहरित की जा रही है उस कोष्ठिका के अगली उच्चतर कोष्ठिका तक बढ़ जाएगा, जो एक वेतन वृद्धि के लाभ स्वरूप होगा। नियमित पदोन्नति, यदि वे एम0ए0सी0पी0एस0 के अंतर्गत यथा प्रदत्त समान स्तर (Level) में हुई है तो उस समय वेतन निर्धारण का और लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। तथापि, वास्तविक पदोन्नति, यदि किसी ऐसे पद पर हुई है जिसका स्तर (Level) उससे उच्चतर है, जो एम0ए0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत उपलब्ध हुआ है तब वेतन निर्धारण वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम 22(बी) के अन्तर्गत किया जायेगा। उदाहरण के लिए कोई सरकारी कर्मचारी स्तर (Level)–1 में 18000/– रूपए के वेतन में सीधी भर्ती के रूप में सेवा में प्रवेश करता है तो उसे सेवा के 10 वर्ष पूरे करने पर उच्चतर स्तर (Level)–2 में वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किया जाएगा और उसका वेतन स्तर (Level)–1 में एक वेतन वृद्धि देकर स्तर (Level)–2 में यथा समान धनराशि वाली कोष्ठिका पर अथवा समान धनराशि न होने पर स्तर (Level)–2 में अगली उच्चतर कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा। एम0ए0सी0पी0एस0 के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त करने के बाद यदि उक्त सरकारी सेवक अपने संवर्ग में अगले पदक्रम पर यथानियम पदोन्नति प्राप्त कर लेता है जो कि स्तर

(Level)–4 है, तो नियमित पदोन्नति पर उसका वेतन वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–22 (बी) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा जिसे एम0ए0सी0पी0एस0 के अधीन अगला वित्तीय स्तरोन्नयन माना जायेगा।

4. ऐसे सरकारी सेवको के मामले में, जिन्हें पूर्व में ए0सी0पी0 की योजना के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2016 तक वित्तीय अपग्रेडेशन की देयता हो, तो ऐसे प्रकरणों पर पूर्व में लागू ए0सी0पी0 के प्राविधानों के तहत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

5. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन देते समय अपना वेतन नियत करवाने के सम्बन्ध में किसी सरकारी सेवक को मूल नियम–22 (1) (क) (1) के अंतर्गत उसकी अपग्रेडेशन की तारीख से अथवा उसकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख अर्थात उस वर्ष की 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई से उच्चतर पद/स्तर में वेतन निर्धारण करवाने का विकल्प होगा।

6. भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति पद के सोपानों में प्राप्त की गई पदोन्नतियों की गणना संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अन्तर्गत की जाएगी।

7. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कियान्वयन के परिणामस्वरूप पूर्व में अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 5400/– को अब संशोधित वेतन संरचना में दो स्तर अर्थात स्तर–9 और स्तर–10 में पुनरीक्षित/निर्धारित किया गया है। वेतन मैट्रिक्स के स्तर–8 में कार्यरत समस्त सरकारी सेवकों को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत अपग्रेडेशन दिए जाने के लिए स्तर–8 के बाद स्तर–10 अनुमन्य होगा लेकिन समयमान वेतनमान (चयन/प्रोन्नत वेतनमान) प्राप्त शिक्षकों को चयन/प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने की स्थिति में वेतन स्तर–8 के बाद वेतन स्तर–9 अनुमन्य होगा।

8. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना हेतु नियमित सेवा का आशय सीधी भर्ती के पद पर नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा संविलियन/पुनर्नियोजन के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि होगी।

9. नियमित नियुक्ति से पूर्व दैनिक वेतन/तदर्थ/संविदा/नियत वेतन/कार्यप्रभारित के रूप में की गई सेवा की गणना एम0ए0सी0पी0एस0 हेतु नहीं की जाएगी।

10. किसी नए विभाग में नियमित नियुक्ति से पूर्व उसी स्तर वाले पद पर दूसरे सरकारी विभाग में की गई पिछली नियमित व निरन्तर सेवा को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के लाभ हेतु गणना में नहीं लिया जायेगा परन्तु यदि कोई सरकारी सेवक अपने संगठन में सरप्लस घोषित कर दिया जाता है और किसी नए संगठन में उसी वेतनमान अथवा उससे निम्न वेतनमान में नियुक्त किया जाता है तो उसके द्वारा पूर्व संगठन में की गई नियमित सेवा की गणना, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन हेतु नए संगठन की नियमित सेवा में की जाएगी।

11. किसी सरकारी सेवक द्वारा सरकारी सेवा में नियुक्ति से पूर्व केन्द्र/किसी अन्य राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/स्वायत्तशासी संस्था/परिषद/सार्वजनिक निगम/उपक्रम में की गई पिछली सेवा की गणना एम0ए0सी0पी0एस0 के लाभ हेतु नहीं की जाएगी।

12. नियमित सरकारी सेवक द्वारा प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा पर बिताई गई अवधि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत अध्ययन अवकाश एवं अन्य सभी प्रकार के अवकाश (असाधारण/अवैतनिक अवकाशों को छोड़कर) की गणना एम0ए0सी0पी0एस0 के लाभ हेतु तत्समय की जायेगी।

13. एम0ए0सी0पी0एस0 व्यवस्था के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन के मामलों में वेतन नियम के वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित कोई भी स्तर (Level) इग्नोर नहीं किया जायेगा।

14. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना केवल राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पर सीधे तौर पर लागू हैं। यह योजना किसी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले स्वायत्तशासी/निकायों/सहायता प्राप्त संस्थानों/निगमों/उपकमों के कर्मचारियों पर स्वतः ही लागू नहीं होगी। वित्तीय प्रभावों के आंकलन के पश्चात् संबंधित स्थानीय निकाय/स्वायत्तशासी संस्था/निकाय/सहायता प्राप्त संस्थान/निगम/उपक्रम के निदेशक मण्डल/बोर्ड की सहमति के उपरान्त सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग/सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के पश्चात् ही उक्त संस्थाओं हेतु उक्त योजना अंगीकार की जायेगी।

15. यदि संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत कोई वित्तीय अपग्रेडेशन स्थगित कर दिया जाता है और कर्मचारी के अनुपयुक्त होने अथवा विभागीय कार्यवाहियों आदि के कारण 10 वर्ष के पश्चात भी किसी स्तर में यह नहीं दिया जाता है तो इसका उस अगले वित्तीय अपग्रेडेशन पर परिणामी प्रभाव होगा जो पहले वित्तीय अपग्रेडेशन दिए जाने में हुई देरी की अवधि के बराबर अवधि तक स्थगित कर दिया जायेगा।

16. उपर्युक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन दिए जाने पर पदनाम, वर्गीकरण अथवा उच्च स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर भी, वित्तीय और कतिपय अन्य प्रसुविधाएं जो किसी सरकारी सेवक द्वारा आहरित वेतन से जुड़े हैं, जैसे– महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते एवं गृह निर्माण अग्रिम आदि, की अनुमन्यता रहेगी।

17. वित्तीय अपग्रेडेशन उपयुक्तता के आधार पर अनुमन्य होगा। वेतन मैट्रिक्स के स्तर–1 से स्तर–5 तक के पद सोपन के लिए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉ "उत्तम" और इसके पश्चात के स्तरों के लिए 'अति उत्तम" के आधार पर वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के समय पिछले 10 वर्षो की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टयॉ देखी जायेंगी।

18. अनुशासनिक/शास्ति की कार्यवाहियों के मामले में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के लाभ की अनुमन्यता साधारण पद्रोन्नति हेतु निर्धारित नियमों के अधीन होगा। अतः ऐसे मामले उत्तराखण्ड

सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किए जाएंगे।

19. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना केवल अगले उच्चतर स्तर पर वित्तीय लाभ की स्वीकृति वैयक्तिक आधार पर अनुमन्य किये जाने हेतु है और यह सरकारी सेवक की वास्तविक/कार्यात्मक पदोन्नति हेतु नहीं है।

20. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन का लाभ सरकारी सेवक को विशुद्धतः वैयक्तिक रूप से दिया जाएगा और उसकी वरिष्ठता की स्थिति से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा। वरिष्ठ सरकारी सेवक को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय अपग्रेडेशन नहीं दिया जाएगा कि कनिष्ठ सरकारी सेवक ने संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना अथवा पूर्व में लागू ए0सी0पी0 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स में उच्चतर स्तर का वेतन प्राप्त कर लिया है।

21. यदि कोई सरकारी सेवक पदोन्नति/सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन प्राप्त करने के बाद किसी निचले पद अथवा निचले वेतनमान पर एकतरफा स्थानान्तरण की मांग करता है तो वह, नए विभाग में, उस पद पर उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत 20/30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेने पर, जैसी भी स्थिति हो, केवल दूसरे और तीसरे वित्तीय उन्नयन के लिए हकदार होगा।

22. यदि कोई सरकारी सेवक किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस सरकारी सेवक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य किये जाने के पश्चात सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा नियमित पदोन्नति लेने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित सरकारी सेवक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्नयन वापस नहीं लिया जायेगा, तथापि ऐसे सरकारी सेवक को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक की वह पदोन्नति लेने से सहमत नहीं हो जाय। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता हेतु समयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

23. ऐसे सरकारी सेवक जो उच्च पदों पर कार्यरत हैं और उन्हें निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद के स्तर (Level) के वेतन के समान अथवा निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा परन्तु संबंधित सरकारी सेवक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता के तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से प्रदान किया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप देय लाभ प्रतिनियुक्ति के पद के स्तर (Level) के वेतन से उच्च है तो संबंधित वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

24. प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर नियुक्त कार्मिकों को एम0ए0सी0पी0एस0 का लाभ उनके मूल विभाग द्वारा यथानियम अनुमन्य किया जायेगा।

25. प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा पर नियुक्त सरकारी सेवक को संशोधित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ लेने के लिए मूल विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे वेतन मैट्रिक्स में स्वधारित पद के स्तर में वेतन को लिए जाने अथवा संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत स्वयं को प्राप्त वेतन, इनमें से जो भी लाभकारी हो, का नया विकल्प दे सकते हैं। ऐसे प्रकरणों में एम0ए0सी0पी0एस0 मूल विभाग द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

26. एक ही विभाग में अथवा एक विभाग से दूसरे विभाग में संवर्ग परिवर्तन होने पर संवर्ग परिवर्तन की तिथि एम0ए0सी0पी0एस0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु मौलिक नियुक्ति की तिथि मानी जायेगी और ऐसे पदधारक को उक्त मौलिक नियुक्ति की तिथि से 10, 20 एवं 30 वर्ष का लाभ अनुमन्य होगा।

27. एक विभाग से दूसरे विभाग के किसी पद पर संविलियन होने पर संविलियन की तिथि एम0ए0सी0पी0एस0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु मौलिक नियुक्ति की तिथि मानी जायेगी और ऐसे पदधारक को उक्त मौलिक नियुक्ति की तिथि से 10, 20 एवं 30 वर्ष का लाभ अनुमन्य होगा।

<u>उदाहरणः–</u>

(i) सीधी भर्ती के माध्यम से वेतन मैट्रिक्स के स्तर–3 में नियुक्त किसी सरकारी कर्मचारी की यदि 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर भी पदोन्नति नहीं होती है तो उसे स्तर–4 में प्रथम एम0ए0सी0पी0एस0 का लाभ अनुमन्य होगा। यदि स्तर–4 में भी अगले 10 वर्षों में भी पदोन्नति नहीं होती तो उसे स्तर–5 में द्वितीय एम0ए0सी0पी0एस0 का लाभ अनुमन्य होगा। यदि स्तर–5 में भी अगले 10 वर्षों में भी पदोन्नति नहीं होती तो उसे स्तर–6 में तृतीय एम0ए0सी0पी0एस0 का लाभ अनुमन्य होगा।

(ii) यदि वेतन मैट्रिक्स के स्तर–3 में कोई सरकारी कर्मचारी **(कनिष्ठ सहायक)** 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर स्तर–5 में अपनी पहली नियमित पदोन्नति **(वरिष्ठ सहायक)** प्राप्त करता है और फिर वह बिना किसी पदोन्नति के अगले 10 वर्षों के लिए उसी स्तर में बना रहता है तब वह 18 वर्ष (8+10 वर्ष) की सेवा पूरी करने के बाद स्तर–6 में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत दूसरे वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र होगा।

(iii) यदि, उसके बाद वह कोई पदोन्नति नहीं प्राप्त करता है तो वह स्तर–6 में अगले 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अर्थात 28 वर्ष यथा (8+10+10) में स्तर–7 में तीसरा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करेगा।

(iv) तथापि, यदि वह स्तर–6 में अगले 5 वर्ष की सेवा के बाद अर्थात 23 वर्ष (8+10+5 वर्ष) की सेवा पूरी करने पर तृतीय पदोन्नति अर्थात स्तर–7 प्राप्त करता है तो यह पदोन्नति तृतीय वित्तीय उन्नयन होगी।

(v) यदि स्तर–2 के सरकारी सेवक को स्तर–2 में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत स्तर–3 में पहला वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाता है और सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि उसे 5 वर्ष बाद(10+5 वर्ष), स्तर–4 में पहली नियमित पदोन्नति दी जाती तो यह उसके लिए द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन होगा और संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन (सरकारी सेवक के द्वारा धारित स्तर के संदर्भ में अगले स्तर में) स्तर–5, 25 वर्ष (10+5+10) की सेवा पूरी करने पर स्वीकार किया जाएगा।

(vi) पूर्व में लागू ए0सी0पी0 व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन चाहे वह ए0सी0पी0 के रुप में अनुमन्य हो या पदोन्नति के रुप में, प्राप्त होने की तिथि से 10 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने पर ही एम0ए0सी0पी0एस0 योजना के तहत तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा।

उपर्युक्त उदाहरणों में, ऐसे उन्नयन पर इस कार्यालयज्ञाप के बिन्दु–5 में दी गयी व्यवस्थानुसार वेतन निर्धारित किया जायेगा, परन्तु उसी स्तर पर नियमित पदोन्नति के समय स्तर नियत करते समय केवल कोष्ठिका की धनराशि समान न होने पर ही अगली कोष्ठिका की धनराशि अंतर के रूप में स्वीकार्य होगी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।